कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थाना./2020–21 दिनांक –04.01.2021 के तहत् श्री सुरेश सिंह, व्याख्याता–हिन्दी, शहीद सुभाष चन्द्र राउमावि, पहाड़सर, चूरू का स्थानान्तरण राउमावि, भानीसरिया तेज, सुजानगढ, चूरू किया गया। श्री सुरेश सिंह द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं.–936/2021 सुरेश सिंह बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या–936/2021 में माननीय अधिकरण निर्णय दिनांक–03.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेश सिंह को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री सुरेश सिंह ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी अस्वस्थ होने, स्थानान्तरित स्थान 170 किमी.दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1–राउमावि, जैतपुरा, चूरू, 2–राउमावि, कालानाताल, चूरू, 3–राउमावि, बधेला, चूरू, 4–राउमावि, सिरसिला, चूरू, 5–राउमावि, दुधवाखारा, चूरू, 6–राउमावि, घांघू, चूरू में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का पदस्थापन चूरू जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मदद्नेजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा याचिकार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर अन्य कार्मिक कार्यरत होने के कारण पद रिक्त नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./सुरेश सिंह/936/2021 दिनांक– 24/02/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, चूरू
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर